

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या: 11/विज्ञापन/परीक्षा/राज्य-अधी./2011-2012

दिनांक- 06-02-2012

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2012 (RAS & RTS COMB. COMP. EXAM., 2012)

1. राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2012 के लिए कार्मिक विभाग द्वारा सूचित पदों हेतु निर्धारित **ऑनलाइन आवेदन-पत्र (On Line Application form) आमंत्रित किए जाते हैं।**

विशेष नोट:- (1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी।

2. **आवेदन प्रक्रिया -**

(क) आवेदन On line Application Form में लिए जाएंगे जिन्हें **राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा **रुपये 40/- (रुपये 35/- आवेदन-पत्र भरने हेतु + रुपये 5/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु)** की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना चाहता है तो वह **ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र** पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> या rpsconline.rajasthan.gov.in से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र **रुपये 5/-** ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों को भरने के लिए अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब-साइट पर उपलब्ध है। **हाथ से भरे गए आवेदन-पत्र किसी भी रूप में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

(ख) परीक्षा शुल्क का ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग से भुगतान की सुविधा के लिए ई-मित्र पोर्टल पर आवश्यक कॉलम की पूर्ति करने के उपरान्त वहां से प्राप्त टोकन नम्बर को यथावत उसी प्रकार से आयोग के ऑनलाइन फार्म में भरें।

(ग) अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है।

(घ) परीक्षा शुल्क के भुगतान के अन्य माध्यम की सुविधा लागू होने पर यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।

3. **प्रवेश-पत्र** - आयोग द्वारा समस्त ऑनलाइन आवेदनों में वेब-साइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेब-साइट पर प्रवेश-पत्र जारी किए जाने की सूचना परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं वेब-साइट के माध्यम से शीघ्र जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वेब-साइट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन-पत्र क्रमांक** एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के **ई-मेल आई.डी. (e-mail ID)** एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है।

4. **परीक्षा शुल्क** - आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित **ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से आयोग को भेजे :-

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - **रुपये 250/-**

(ख) राजस्थान के नॉन-क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु- **रुपये 150/-**

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु- **रुपये 50/-**

नोट :-

- (1) ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क **रुपये 40/- (रुपये 35/- आवेदन-पत्र भरने हेतु + रुपये 5/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु)** अतिरिक्त रूप में सभी को देने होंगे।
- (2) ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन-पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप **ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र** पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।
- (3) आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं।
- (4) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त **ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ **ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** नहीं हैं वे आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध हैं।
- (5) राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

5. **सेवावार रिक्त पदों का विवरण :-**

राज्य सेवाएं

क्र. सं.	सेवा का नाम	वेतनमान	कुल पद
1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	15600-39100 GP 5400	57
2	राजस्थान पुलिस सेवा	15600-39100 GP 5400	52
3	राजस्थान लेखा सेवा	15600-39100 GP 5400	22
4	राजस्थान सहकारी सेवा	9300-34800 GP 4200	32
5	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा	9300-34800 GP 4200	02
6	राजस्थान कारागार सेवा	9300-34800 GP 4200	03
7	राजस्थान उद्योग सेवा	9300-34800 GP 4200	12
8	राजस्थान राज्य बीमा सेवा	9300-34800 GP 5400	12
9	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा	9300-34800 GP 4200	19
10	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा	9300-34800 GP 4200	-
11	राजस्थान पर्यटन सेवा	9300-34800 GP 4200	04
12	राजस्थान परिवहन सेवा	9300-34800 GP 4200	02
13	राजस्थान महिला एवं बाल विकास सेवा	9300-34800 GP 4200	19
14	राजस्थान देवस्थान सेवा	9300-34800 GP 4200	02
15	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा	15600-39100 GP 5400	51
16	राजस्थान महिला विकास सेवा	15600-39100 GP 5400	-
		कुल पद	289

अधीनस्थ सेवाएं

क्र. सं.	सेवा का नाम	वेतनमान	कुल पद
1	राजस्थान अधीनस्थ देवस्थान सेवा	9300-34800 GP 3200	14
2	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा	9300-34800 GP 3200	460
3	राजस्थान तहसीलदार सेवा	9300-34800 GP 3600	85
4	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3200	100
5	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (नियोजन)	9300-34800 GP 3200	05
6	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3600	08
7	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3200	33
8	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3200	103
9	राजस्थान महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3200	09
		कुल पद	817

नोट:-

- (1) राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 की अनुसूची I & II में वर्णित सेवाओं में से शासन से जिन सेवाओं के कुल रिक्त पदों की सूचना आयोग को प्राप्त हुई है उनके रिक्त पदों को उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है। शासन से शेष रही सेवाओं के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त होने पर उन पदों हेतु भी भर्ती की कार्यवाही इसी परीक्षा के तहत की जा सकेगी।
- (2) **आवेदक विज्ञापित एक या एक से अधिक सेवाओं के लिए एक ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार के लिए योग्य पाए जाएंगे, वे साक्षात्कार के समय सेवा/पदों जिनके लिए आवेदक इच्छुक हैं, आयोग द्वारा जारी मुद्रित आवेदन-पत्र पर सेवाओं का प्राथमिकता क्रम भर कर प्रस्तुत कर सकेंगे। एक बार दिए गए सेवा प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
- (3) इस परीक्षा के सेवा नियम, 1999 के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम घोषणा से पूर्व राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं के सेवावार श्रेणीवार आरक्षित रिक्त पदों की नवीनतम संख्या यथा-सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित क्षेत्र/निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिक/उत्कृष्ट खिलाड़ियों/विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी/अराजपत्रित कर्मचारी/महिला/विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला के आरक्षण की नवीनतम सूचना शासन से प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति जारी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।
- (4) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 10-10-2002 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जाएगा जब तक यथास्थिति, राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते। किन्हीं भी परिस्थितियों में, राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा।
- (5) टी.एस.पी. क्षेत्र (TSP Area) के सामान्य पद, विज्ञापित सामान्य पदों में सम्मिलित है तथा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.09.07 के अनुसार दर्शाए गए अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Area) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पद अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय सदस्यों से भरे जाएंगे।
- (6) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- (7) महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30% होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। **स्पष्टीकरण:-**किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन-क्रीमीलेयर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।**
- (8) महिला हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) के लिए आरक्षित होगा। किसी वर्ग(सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा एवं परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
- (9) राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा।
- (10) शासन द्वारा बताए गए रिक्त पदों में नियमानुसार अराजपत्रित कर्मचारी एवं विभागीय कर्मचारी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
- (11) **निःशक्त व्यक्तियों के लिए :-**
 - (अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है:-
 1. **Blindness or Low vision (B./L.V.)**
B - Blind L.V.- Low Vision
 2. **Hearing Impairment**
 3. **Locomotor Disability & Cerebral Palsy (L.D. & C.P.)**
 - (ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
 - (स) उपरोक्त दर्शाए गए निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार भरा जाएगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।

- (द) निःशक्तजन आवेदक On line Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
- (य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियमानुसार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। निःशक्तजन हेतु चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण-पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक को निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- (12) **भूतपूर्व सैनिकों हेतु**:- भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार अन्य स्रोत से भरा जा सकेगा।

नोट :-

- (1) भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा में छूट का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है अन्यथा उन्हें आयु सीमा में लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नहीं होगा।
- (2) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
- (13) **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु** :- उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति को पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण :- "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फ़ेडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तरराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार, व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :-

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्र मण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम) में या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

- (14) विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है।

6. शैक्षणिक योग्यता :-

आवेदक केन्द्र या भारत के किसी राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किसी शैक्षिक संस्था का उपाधि (डिग्री) धारक होना चाहिए या आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता रखता हो।

परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु उसे मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं स्नातक उपाधि परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

7. अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों के सम्बन्ध में :-

राज्य सेवाओं में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों के लिए राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कर्मचारी ही पात्र होंगे। अराजपत्रित कर्मचारी के नाते परीक्षा में (राज्य सेवाओं में उनके लिए आरक्षित पदों के लिए) बैठने हेतु आवेदक को निम्न शर्तें पूर्ण करना चाहिए :-

(1) योग्यता :-

(क) आवेदक केन्द्र या भारत के किसी राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किसी शैक्षिक संस्था का उपाधि (डिग्री) धारक होना चाहिए या आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता रखता हो।

परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु उसे मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं स्नातक उपाधि परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

(ख) **अनुभव** :- दिनांक 1 जनवरी, 2013 को नियमानुसार पांच वर्ष से अन्यून सेवा, स्थानापन्न या अधिष्ठायी रूप से पूर्ण होनी चाहिए।

नोट:- आवेदक को दिनांक 01.01.2013 को सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त है, उसका दिन, माह व वर्ष की पूर्ति निर्धारित कॉलम में करें।

(2) **आयु** :- अराजपत्रित कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी, 2013 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परन्तु 40 वर्ष का नहीं हुआ हो।

8. आयु :- आवेदक दिनांक 1 जनवरी, 2013 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि:-

- (1) "यदि कोई अभ्यर्थी किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई थी, अपनी आयु की दृष्टि से परीक्षा में सम्मिलित होने का हकदार रहा होता/होती, तो वह अपनी आयु की दृष्टि से ठीक बाद वाली परीक्षा में सम्मिलित होने का हकदार समझा जाएगा/जाएगी।"

स्पष्टीकरण :- आयोग द्वारा वर्ष 2010 की परीक्षा हेतु आयु की गणना दिनांक 01.01.2011 को की गई थी। वर्ष 2011 में इन पदों की परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को आयु सीमा में थे उन्हें आयु सीमा में ही समझा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देय होगी।

(2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में -

- (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थाई निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
 - (ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
 - (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थाई निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (3) उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी।
 - (4) उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था।
 - (5) पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कारोबार में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
 - (6) राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
 - (7) राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
 - (8) रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयुसीमा 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रॉस/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।
 - (9) एन.सी.सी के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
 - (10) निर्मुक्त हुए अपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
 - (11) विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विच्छिन्न विवाह का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(12) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगी :-

1. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
2. पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

नोट :-

- (1) उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 12 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 2 से 12 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- (2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

9. **पेंशन**:- नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दिनांक 01-01-2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किए जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जाएगा।

प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं।

10. **अन्तिम दिनांक** :- आवेदन करने की अन्तिम दिनांक: 10 मार्च, 2012 को रात्रि 12-00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

11. **परीक्षा का माह एवं स्थान**- प्रारम्भिक परीक्षा सम्भवतः माह अप्रैल/मई, 2012 में राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में आयोजित कराई जाएगी। आवेदक जिस जिले से परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है उस जिले का कोड नम्बर चुन कर निर्धारित कॉलम में पूर्ति करें। यदि आवेदक द्वारा जिला केन्द्र कोड नम्बर की पूर्ति नहीं की जाती है अथवा गलत कोड नम्बर की पूर्ति की जाती है तो आयोग उसे कोई भी जिला परीक्षा केन्द्र आवंटित कर सकता है। आयोग यदि चाहे तो जिला परीक्षा केन्द्रों तथा परीक्षा आयोजन के दिनांक व माह में परिवर्तन कर सकता है। **प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आवेदक द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। अतः आयोग द्वारा स्वविवेक से प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया जा सकता है।**

आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर एवं जयपुर सम्भागीय मुख्यालयों पर आयोजित किए जाने की सम्भावना है। मुख्य परीक्षा हेतु जिला परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आयोग द्वारा स्वविवेक से किया जाएगा तथापि आयोग की यह कोशिश रहेगी कि आवेदक द्वारा चुने गए प्रारम्भिक परीक्षा के जिला परीक्षा केन्द्र के नजदीक (सम्भागीय मुख्यालय) का जिला परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाए।

12. **अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में** :- सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा आयोग

को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किए जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिए जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

13. नियुक्ति के लिए अयोग्यता :-

- 1 किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- 2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को, जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- 3 किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन हेतु "दहेज" से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 में है (सैन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961)।

- 4 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01-06-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्वी प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

- 5 शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-05-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
- 6 भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा में छूट का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है अन्यथा उन्हें आयु सीमा में लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नहीं होगा।

14. आवेदन कैसे करें :-

अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट - राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन-क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

15. कृपया ध्यान दें :-

- (1) आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देशों के साथ-साथ इस परीक्षा के सेवा नियम "राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999" का अध्ययन कर लें। नियमानुसार अपात्र पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
- (2) आवेदक श्रेणीवार तय किए गए परीक्षा शुल्क के अनुसार अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराकर ही आवेदन करें। विस्तृत आवेदन-पत्र साक्षात्कार के समय मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के उपरान्त साक्षात्कार हेतु अस्थाई रूप से आमंत्रित अभ्यर्थियों से यथा समय भरवाए जाएंगे।
- (3) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (4) आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किए गए ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन-पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।
- (5) आयोग कार्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा।
- (6) ऑनलाइन आवेदन-पत्र निर्धारित अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदक आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (7) आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन-पत्र अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश-पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

16. **अनुचित साधनों की रोकथाम:-** परीक्षार्थियों को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting to use unfair means during the course of examination" के अनुसार

कार्यवाही की जा सकती हैं। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी गई है।

17. **श्रुत लेखक की सुविधा**:- सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें आयोग कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी।
18. **प्रमाण-पत्रों का सत्यापन** :-आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ (जो कि मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के उपरान्त साक्षात्कार हेतु अस्थाई रूप से बुलाए जाने वाले आवेदकों से यथासमय भरवाए जाएंगे) भेजना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :-
- (अ) जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।
- (ब) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।
- (स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन का प्रमाण-पत्र **On line Application Form** प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
- (द) राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को **On line Application Form** पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा।
- (य) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमशः दिनांक 10.10.08 एवं 25.08.09 के पश्चात् जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ल) निःशक्तजन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तजन की चिह्नित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि **On line Application Form** की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिए।

19. **परीक्षा योजना :-**

योजना के अनुसार यह परीक्षा दो चरणों में ली जाएगी। प्रथम चरण में प्रारम्भिक परीक्षा तथा द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगी। प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुपरक दो प्रश्न पत्र, एक अनिवार्य विषय तथा एक चुना हुआ ऐच्छिक विषय होंगे। प्रारम्भिक परीक्षा का प्रत्येक प्रश्न-पत्र 200 अंक का होगा और अवधि दो घण्टे होगी।

प्रारम्भिक परीक्षा केवल संवीक्षा/क्वालीफाइंग परीक्षा के रूप में होगी। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को अंतिम योग्यता क्रम निर्धारित करने के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। **प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम सामान्यकरण पद्धति के आधार पर घोषित किया जाएगा। नियमानुसार सफल अथवा असफल अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा की अंकतालिका नहीं भेजी जाएगी तथा नियमानुसार प्राप्तांकों की पुनःगणना भी नहीं की जाएगी।** इस सम्बन्ध में किए गए किसी भी पत्र व्यवहार का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाएगा।

राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं/पदों की रिक्तियों के संबंध में मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भरी जाने वाली रिक्तियों (प्रवर्गानुसार) की कुल संख्या की 15 गुना होगी किन्तु उक्त रेंज में उन सभी अभ्यर्थियों को जो उतने प्रतिशत अंक प्राप्त करते हों, जितने कि आयोग द्वारा किसी निम्नतर रेंज के लिए नियत किए जाएं, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र सीनियर सैकण्डरी के स्तर के होंगे और ऐच्छिक प्रश्न पत्र स्नातक डिग्री के स्तर के होंगे।

भाषा एवं साहित्य के प्रश्न पत्रों को छोड़ कर समस्त प्रश्न पत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, या तो हिन्दी में या अंग्रेजी में दिए जाएंगे, किन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न पत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी में और अंशतः अंग्रेजी में देने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात नहीं किया गया हो। संस्कृत, उर्दू और सिन्धी साहित्य के प्रश्न पत्रों के उत्तर साहित्य की सम्बन्धित लिपि में ही दिए जाएंगे सिवाय इसके कि जब उनके उत्तर हिन्दी या, यथा स्थिति, अंग्रेजी में देने कि विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षा की गयी हो।

प्रारम्भिक परीक्षा के विषय एवं कोड नम्बर का विवरण

(क) अनिवार्य प्रश्न पत्र : 1. General Knowledge & General Science

(ख) ऐच्छिक विषय : निम्नांकित विषयों में से कोई एक विषय चुनें :-

S.No./Code No.(to be filled in Column)	Optional Paper (Preliminary Exam.)	S.No./Code No.(to be filled in Column)	Optional Paper (Preliminary Exam.)
01.	Agriculture	16.	Geology
02.	Agricultural Engineering	17.	Home Science
03.	Animal Husbandry & Veterinary science	18.	Indian History
04.	Botany	19.	Law
05.	Chemistry	20.	Mathematics
06.	Civil Engineering	21.	Mechanical Engineering
07.	Commerce	22.	Mining Engineering
08.	Crop Husbandry with Horticulture	23.	Philosophy
09.	Computer Engineering	24.	Physics
10.	Computer Science	25.	Political Science
11.	Dairy Processing & Technology	26.	Psychology
12.	Economics	27.	Public Administration

13.	Electrical Engineering	28.	Sociology
14.	Electronics & Telecommunication Engineering	29.	Statistics
15.	Geography	30.	Zoology

मुख्य परीक्षा के विषय एवं कोड नम्बर का विवरण

विभिन्न सेवाओं/पदों पर भर्ती हेतु आवेदकों का चयन करने के लिए मुख्य परीक्षा (लिखित एवं साक्षात्कार) ली जाएगी। यह परीक्षा चार अनिवार्य प्रश्न-पत्रों तथा आवेदकों द्वारा चुने गए दो ऐच्छिक विषयों की होगी। चुने हुए प्रत्येक ऐच्छिक विषय के दो प्रश्न-पत्र लिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न-पत्र की अवधि तीन घण्टे की होगी।

1- अनिवार्य प्रश्न-पत्र : प्रत्येक अनिवार्य प्रश्न-पत्र के पूर्णांक उनके सम्मुख अंकित हैं।

Compulsory Papers

Maximum Marks

Paper-I	General Knowledge & General Science	100
Paper-II	General Knowledge of Rajasthan, Rajasthan Society, Art & Culture	100
Paper-III	General Hindi	200
Paper-IV	General English	100

Optional Papers

Maximum Marks

Paper-V	Any two subjects to be opted by a candidate from the following list of optional subjects. Each subject will have two papers.	200 Maximum Marks for each paper
Paper-VI		
Paper-VII		
Paper-VIII		

Note: The serial order of the optional papers for Main Examination has been arranged as per optional papers for Preliminary Examination for the facility of the candidates so that code number of Pre. Exam. and Main Exam. remain similar to the same optional paper.

S.No./Code No.(to be filled in Column)	Optional Paper (Main Exam.)	S.No./Code No.(to be filled in Column)	Optional Paper (Main Exam.)
01.	Agriculture	17.	Home Science
02.	Agricultural Engineering	18.	History
03.	Animal Husbandry & Veterinary Science	19.	Law
04.	Botany	20.	Mathematics
05.	Chemistry	21.	Mechanical Engineering
06.	Civil Engineering	22.	Mining Engineering
07.	Commerce and Accountancy	23.	Philosophy
08.	Crop Husbandry with Horticulture	24.	Physics
09.	Computer Engineering	25.	Political Science & International Relations
10.	Computer Science	26.	Psychology
11.	Dairy Processing & Technology	27.	Public Administration
12.	Economics	28.	Sociology
13.	Electrical Engineering	29.	Statistics
14.	Electronics & Telecommunication Engineering	30.	Zoology
15.	Geography	31.	Anthropology
16.	Geology	32.	Management
	<u>Literature from one of the following</u>		
33.	English	36.	Sanskrit
34.	Hindi	37.	Sindhi
35.	Urdu		

Note: A candidate shall not be allowed to offer the following combinations of subjects :-

- Anthropology and Sociology
- Political Science & International Relations and Public Administration
- Commerce & Accountancy and Management
- Mathematics and Statistics
- Management and Public Administration
- Of the Agriculture and other related subjects viz: Agriculture, Agricultural Engineering, Animal Husbandry & Veterinary Science, Crop Husbandry with Horticulture, Dairy Processing & Technology, not more than one subject.
- Of the Engineering subjects viz: Agricultural Engineering, Civil Engineering, Computer Science/Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics & Telecommunication Engineering, Mechanical Engineering and Mining Engineering not more than one subject.

मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषयों/ऐच्छिक विषयों की लिखित परीक्षा होगी जिसमें परम्परागत लघु, अति लघु एवं निबन्धात्मक शैली के प्रश्न-पत्र होंगे। आवेदक को अनिवार्य विषयों की परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है। जो आवेदक मुख्य परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेक से निश्चित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करेगा, उसे व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार परीक्षण 160 अंकों का होगा।

विशेष :-

- (1) आवेदक इन पदों का पाठ्यक्रम आयोग की वेब-साइट से प्राप्त कर सकते हैं।
- (2) आयोग द्वारा परीक्षा का पाठ्यक्रम अन्य सामग्री विक्रय किए जाने हेतु किसी भी प्रकाशक को अधिकृत नहीं किया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी प्रकाशक द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम अथवा अन्य सामग्री खरीदता है तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

विशेष टिप्पणी :-

- (1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाएगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
- (2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएँ। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश-पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।
- (3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- (4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

आयोग की वेबसाइट :- उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट www.rpsc.gov.in या rpsconline.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं० 0145-5151200, 5151240 एवं 5151302 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव